(१५८)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा

(म0प्र0)

निगरानी प्र0क्र0

Rs 30/-

RS 240-III/16

1– नागेन्द्र सिंह तनय स्व0श्री हेतराज सिंह निवासी ग्राम खरबाही तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0

2– भूपेन्द्र सिंह तनय स्व0श्री हेतराज सिंह निवासीग्राम खरबाही तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ———————— निगरानी कर्ता

बनाम

रामराज सिंह तनय जर्नादन सिंह निवासी ग्राम खरबाही तह0 रामपुर बाघेलान जिला सतना म0प्र0 ——————— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व कलेक्टर महोदय सतना जिला सतना द्वारा प्र0क0 64 अ– 74 / 15–16 मे पारित आदेश दिनांक 27–4–16

श्री अजय पाण्डेय द्वारा आज दिनांक 27-5-16 को प्रस्तुत किया गया

रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि व प्रकिया के विपरीत होन से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल गैर निगरानीकर्ता को सुनकर प्रथम सुनवाई मे ही प्रकरण अन्तरण का आदेश पारित कर दिया तथा गैर निगरानीकर्ता के मनमाफिक कोर्ट मे प्रकरण निराकरण हेतु अन्तरित कर दिया , तथा पूरे आदेश मे प्रकरण अन्तरण करने का कोई कारण नही है । इस कारण आदेश अस्पष्ट होने से तथा बोलता हुआ आदेश न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नही है ।

R-5240-III/16 सतना

नागेन्द्र/रामराज

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-07-17	यह निगरानी कलेक्टर सतना के प्र0क0 64 अ–74/15–16 में पारित आदेश दिनांक 27–4–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है जिसके व्दारा कलेक्टर सतना ने तहसीलदार वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान के न्यायालय का प्रकरण कमांक 1–अ–27/14–15 को तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु हस्तांतरित किया है। पूर्व पेशी पर आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर प्रकरण के निराकरण का आग्रह किया है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। 2/ निगरानी मेमो में आये तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक के आवेदन पर कलेक्टर सतना ने तहसीलदार वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान के न्यायालय का प्रकरण कमांक 1–अ–27/14–15 को तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु हस्तांतरित किया है । मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 30 में व्यवस्था दी गई है कि कलेक्टर या उपखंड अधिकारी इस संहिता के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन उदभूत होने वाले किसी मामले को या किसी वर्ग के मामले को अपनी फाइल से अपने अधीनस्थ किसी ऐसे राजस्व अधिकारी को , जो कि ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिये सक्षम है विनिश्चय के लिये सौंप सकेगा। कलेक्टर ने अनावेदक के आवेदन में दर्शाई गई मांग के समाधान होने पर मामला तहसीलदार वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर बाघेलान के न्यायालय से तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु अंतरित किया है , जिसमें किसी प्रकार का दोष प्रतात नहीं होता है। फलतः निगरानी सारहीन होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	